

क्रमांक:-प.1/विजा/स्था0/2018/

दिनांक 9 /10/2018

:- आदेश :-

श्री गंगाराम कार्यवाहक तहसीलदार असनावर को ज्ञापन क्रमांक 983 दिनांक 07.03.2018 से राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाकर निम्न प्रकार आरोपित किया गया था।

आरोप संख्या 1. - यह कि आप द्वारा खरीफ फसल 2016 संवत् 2073 में 33 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक हुए खराबे में 2 हेक्टेयर तक कुल कृषक 19580 राशि 521.25 लाख रु0 आवंटित किये गये थे जिने दिनांक 28.2.18 तक वितरण करना था जिसमें भी आप द्वारा आ दिनांक तक कुल कृषक 14 को राशि 0.0 लाख रु ही वितरण किये गये हैं जो अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है जिसके कारण वित्तीय अनियमितता हुई है। जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की ही है। इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 2. - यह कि आपको उक्त संबंध में कारण बताओं नोटिस क्रमांक सहायता/नोटिस/2017/398 दिनांक 26.2.18 एवं जारी कर उक्त सूचना तत्काल एवं नोटिस का जवाब तीन दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आपके द्वारा न तो वांछित सूचना संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराई गई, न ही इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

उक्त आरोपों के क्रम में श्री गंगाराम कार्यवाहक तहसीलदार असनावर ने लिखित जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया :-

1- प्रार्थी को खरीफ फसल संवत् 2073 में 33 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक हुए खराबे में कुल कृषक 19580 राशि 521.25 लाख आवंटित किये थे जिसमें अल्प समय होने तथा पटवारी स्तर पर कृषकवार सूचिया तैयार नहीं होने के कारण प0स0बकानी में उप चुनाव एवं ग्राम पंचायत रीछावा में वार्ड पंच 2 के चुनाव में जोनल मजि0नियुक्त होने के कारण कृषि आदान अनुदान वितरण में विलम्ब हुआ है। तहसील क्षेत्र के 4654 काश्तकारों को 1.82 करोड़ की सूचियों में से 1.10 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है शेष भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

2- प्रार्थी की पंचायत राज के उप चुनाव में 26.2.18 से 05.03.18 तक बकानी प0स0 के ग्राम नानौर एवं रीछावा में जोनल मजि0 के पद पर होने से 3 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने एवं भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब होना रहा है।

हमारे द्वारा श्री गंगाराम के द्वारा प्रस्तुत जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया, श्री गंगाराम कार्यवाहक तहसीलदार असनावर के प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर भविष्य में कार्य विशेष सतर्कता एवं तत्परता से संपादित करने की हिदायत के साथ प्रकरण में कार्यवाही ज़ोर की जाती है।

जिला कलक्टर

झालावाड़

दिनांक 9 10.2018

क्रमांक सम0/18/  
प्रतिलिपी निम्न को :-

- 1-उपखण्ड अधिकारी असनावर
- 2-तहसीलदार असनावर
- 3- श्री गंगाराम कार्यवाहक तहसीलदार असनावर
- 4-व्यक्तिगत पत्रा0
- 5-रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर

झालावाड़

